

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2020/2357

पीठासीन अधिकारी-श्री प्रशान्त शर्मा, आर.ए.एस

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 10.09.20

अप्रार्थीगण

1 नैनाराम 2 कौशलाराम पिसरान प्रहलादराम
3 कमला पत्नी भूराराम 4 चुन्नीदेवी पत्नी
प्रहलादराम 5 विरधा पुत्र भूराराम जाति जाट
निवासी भाड़खा पुरोहितान भाड़खा तहसील व
जिला बाड़मेर।

1 आदूराम पुत्र फूसाराम जाति जाट 2
गोरखाराम पुत्र खीयाराम 3 छगाराम 4
ताजाराम पिसरान आम्वाराम 5 जालूराम
पुत्र हाथीराम 6 मानाराम पुत्र ताराराम
जाति कुम्हार 7 घेवाराम पुत्र मंगलाराम 8
गोविन्दराम पुत्र वगताराम जाति दर्जी
निवासी भाड़खा पुरोहितान, तहसील व
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 759/2018

दिनांक- 10.09.20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 597/429 रकबा 84.08 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



क्रमांक : रीडर/2020/2357 - 60

प्रतिबिम्बि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाड़खा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. नैनाराम पुत्र प्रहलादराम वगैराह जाति जाट निवासी भाड़खा पुरोहितान भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी आदूराम पुत्र फूसाराम वगैराह जाति जाट निवासी भाड़खा पुरोहितान भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।

(प्रशान्त शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 10.09.20

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर